# इटावा पुलिस

**प्रेस नोट दिनांक21.03.2024**

## #OPERATION CONVICTION

**इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अभियुक्त को 3 वर्ष 6 माह के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 6,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अभियुक्त को 3 वर्ष 6 माह के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 6,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

अभियुक्तगणों द्वारा सुसंगठित गिरोह लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने तथा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ प्राप्त करने उद्देशय से फर्जी लाइसेंस कम्पनी खोलकर 05 वर्ष मे धन दोगुना करने के नाम पर एक फर्जी कटिंग दिखाकर आम जनता के रुपयों को धोखाधडी से जमा कर उस रुपये को सामूहिक रुप से हडपने का कार्य करने के संबंध मे दिनांक 24.09.20 को थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 522/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद अधिनियम एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक श्री मदन गोपाल गुप्ता द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 राम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री कृष्ण सहाय शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 21.03.2024 को अन्तर्गत धारा धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद अधिनियम एक्ट में मा0 न्यायालय ADJ -10/स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 3 वर्ष 6 माह के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 6,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

1. **मनीष सक्सेना पुत्र रमेश चन्द्र निवासी नखासा थाना कोतवाली जनपद इटावा ।**